कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 92

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		866.97	457.96	1324.93	740.22	414.47	1154.69	1140.02	397.90	1537.92
पूंजी		*11.03*	*444.35*	*455.38*	*9.78*	*441.35*	*451.13*	*9.98*	*460.35*	*470.33*
जोड़		**878.00**	**902.31**	**1780.31**	**750.00**	**855.82**	**1605.82**	**1150.00**	**858.25**	**2008.25**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	7.20	8.20	0.80	6.94	7.74	1.05	7.33	8.38
ग्राम और लघु उद्योग										
हथकरघा उद्योग										
2. *हथकरधा संबंधी आर्थिक सहायता*										
2.01 हथकरधा कपड़े पर विशेष छूट	3601	...	5.00	5.00	...	8.00	8.00	...	5.00	5.00
2.02 जनता कपड़े पर सब्सिडी	3601	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
	जोड़	*...*	*5.20*	*5.20*	*...*	*8.20*	*8.20*	*...*	*5.20*	*5.20*
3. *हथकरघों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें*										
3.01 हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड सह-आवास योजना को अनुदान	3601	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
3.02 हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के लिए सहायता	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
3.03 दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	3601	30.37	...	30.37	35.26	...	35.26	62.85	...	62.85
	2851	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	3.00	...	3.00
	3602	1.00	...	1.00	3.10	...	3.10	3.50	...	3.50
	जोड़	*33.97*	*...*	*33.97*	*40.96*	*...*	*40.96*	*69.35*	*...*	*69.35*
3.04 अन्य	7601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75
	जोड़	*50.47*	*...*	*50.47*	*57.46*	*...*	*57.46*	*80.10*	*...*	*80.10*
4. *अन्य हथकरघा योजनाएं*										
4.01 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	0.63	16.35	16.98	0.41	15.57	15.98	0.70	16.17	16.87
4.02 हथकरघा निर्यात उन्नयन योजना	2851	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
4.03 मिल गेट मूल्य योजना	2851	8.00	...	8.00	11.50	...	11.50	8.00	...	8.00
4.04 विपणन संवर्धन कार्यक्रम	2851	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
4.05 डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	2851	16.71	...	16.71	4.43	...	4.43	8.00	...	8.00
	3601	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
	4851	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*18.41*	*...*	*18.41*	*6.03*	*...*	*6.03*	*9.70*	*...*	*9.70*
4.06 कपड़ा और कपड़े से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के कारण सेनवेट की प्रतिपूर्ति	2851	...	25.00	25.00	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00
	3601	...	24.80	24.80	...	0.80	0.80	...	0.50	0.50
	3602	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.05	0.05
	जोड़	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*6.00*	*6.00*	*...*	*1.55*	*1.55*
4.07 संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10% की विशेष छूट के अनुदान के लिए स्कीम	2851	...	3.00	3.00	...	3.40	3.40	...	0.50	0.50
	3601	...	46.75	46.75	...	45.35	45.35	...	28.50	28.50
	3602	...	0.25	0.25	...	1.25	1.25	...	1.00	1.00
	जोड़	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*30.00*	*30.00*
4.08 बुनकर बीमा योजना	2851	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*5.50*	*...*	*5.50*	*5.50*	*...*	*5.50*	*5.50*	*...*	*5.50*
4.09 एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम	2851	24.35	...	24.35	16.06	...	16.06	15.00	...	15.00
4.10 अन्य	2851	...	9.57	9.57	...	9.66	9.66	...	9.72	9.72
	3601	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
	3602	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़	*...*	*10.82*	*10.82*	*...*	*10.91*	*10.91*	*...*	*10.97*	*10.97*
जोड़-हथकरघा उद्योग		**119.36**	**132.37**	**251.73**	**108.96**	**90.68**	**199.64**	**131.00**	**63.89**	**194.89**
हथकरघा उद्योग										
5. *अन्य हस्तशिल्प योजनाएं*										
5.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	0.50	26.22	26.72	0.50	24.61	25.11	1.00	25.91	26.91
5.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	20.64	26.71	47.35	16.14	24.72	40.86	17.00	25.65	42.65
5.03 बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	18.08	...	18.08	16.60	...	16.60	25.00	...	25.00
5.04 निर्यात संवर्धन	2851	14.05	...	14.05	11.55	...	11.55	12.00	...	12.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.05 विपणन सहायता और सेवाएं	2851	12.13	...	12.13	11.63	...	11.63	13.00	...	13.00
5.06 जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज	2851	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
5.07 शिल्पकारों के लिए बीमा योजना स्कीम	2851	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
5.08 विशेष हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना	2851	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
5.09 अन्य	2851	2.90	16.16	19.06	1.90	15.61	17.51	3.00	16.59	19.59
	4851	1.80	...	1.80	2.55	...	2.55	3.00	...	3.00
जोड़- हस्तशिल्प उद्योग		**79.10**	**69.09**	**148.19**	**68.37**	**64.94**	**133.31**	**85.00**	**68.15**	**153.15**
ऊन उद्योग										
6. ऊन विकास बोर्ड	2851	12.00	0.90	12.90	3.50	0.80	4.30	5.00	0.90	5.90
रेशम उत्पादन										
7. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	72.46	60.66	133.12	75.96	60.66	136.62	80.00	60.66	140.66
8. अन्य रेशम कीटपालन योजनाएं	2851	...	1.77	1.77	...	1.45	1.45	...	1.30	1.30
जोड़-रेशम कीटपालन उद्योग		**72.46**	**62.43**	**134.89**	**75.96**	**62.11**	**138.07**	**80.00**	**61.96**	**141.96**
विद्युतकरघा उद्योग										
9. अन्य विद्युतकरघा योजनाएं	2851	12.28	1.25	13.53	10.28	1.36	11.64	8.00	1.41	9.41
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		**295.20**	**266.04**	**561.24**	**267.07**	**219.89**	**486.96**	**309.00**	**196.31**	**505.31**
उपभोक्ता उद्योग										
10. उपकर संग्रहण की एवज में अदायगी										
10.01 कपड़ा	2852	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00
10.02 जूट	2852	...	38.00	38.00	...	38.00	38.00	...	38.00	38.00
	जोड़	*...*	*59.00*	*59.00*	*...*	*59.00*	*59.00*	*...*	*59.00*	*59.00*
11. कपड़ा आयुक्त	2852	...	10.97	10.97	...	10.58	10.58	...	10.92	10.92
12. कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम										
12.01 फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	32.71	10.00	42.71	25.00	10.00	35.00	12.78	10.00	22.78
12.02 अनुसंधान एवं विकास	2852	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.05	...	1.05
12.03 कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	15.00	15.00	...	8.00	8.00	...	15.00	15.00
12.04 अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	1.00	...	1.00	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
12.05 कपड़ा आधुनिकीकरणअनुदान योजना (टीयूएफएस)	2852	340.00	...	340.00	294.00	...	294.00	435.00	...	435.00
12.06 कपास प्रौद्योगिकी मिशन	2852	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	80.00	...	80.00
12.07 परिधान/कपड़ा पार्क योजना	2852	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	90.00	...	90.00
12.08 कपड़ा अभिवृद्धि केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना	2852	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	90.00	...	90.00
12.09 मूल्य सहायता के अधीन भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	2852	...	20.00	20.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
12.10 ईएमडी/बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	7.21	7.21	...	7.21	7.21	...	5.00	5.00
12.11 पुनर्वास स्कीम के लिए ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि. को अनुदान	2852	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00
12.12 अन्य	2852	4.26	8.29	12.55	0.93	8.99	9.92	1.02	10.39	11.41
	जोड़	*479.97*	*78.50*	*558.47*	*396.33*	*82.20*	*478.53*	*710.35*	*88.39*	*798.74*
13. जूट आयुक्त	2852	...	2.14	2.14	...	2.10	2.10	...	2.17	2.17
14. जूट-विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम										
14.01 राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र के लिए अनुदान	2852	5.30	...	5.30	5.78	...	5.78	5.00	...	5.00
14.02 विशेष जूट विकास निधि	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
14.03 बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00

सं.92/ कपड़ा मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14.04 अन्य	2852	4.70	4.11	8.81	2.99	3.76	6.75	5.57	3.78	9.35
	जोड़	*11.00*	*34.11*	*45.11*	*9.77*	*33.76*	*43.53*	*14.57*	*33.78*	*48.35*
15. जूट विकास निधि-अन्तरण										
को	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
से	2852	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-4.00	...	-4.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**490.97**	**184.72**	**675.69**	**406.10**	**187.64**	**593.74**	**724.92**	**194.26**	**919.18**
नागरिक पूर्ति										
16. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
16.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	6860	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
16.02 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	6860	...	112.00	112.00	...	112.00	112.00	...	128.00	128.00
16.03 एलैन मिल्स	6860	...	5.00	5.00	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00
16.04 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	6860	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
	जोड़	...	*417.35*	*417.35*	...	*414.35*	*414.35*	...	*433.35*	*433.35*
17. सरकारी उद्यमों में निवेश	4851	3.03	...	3.03	1.03	...	1.03	0.03	...	0.03
	4860	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00
	जोड़	*3.03*	*27.00*	*30.03*	*1.03*	*27.00*	*28.03*	*0.03*	*27.00*	*27.03*
18. पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के हथकरघा लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान	2552	34.00	...	34.00	24.50	...	24.50	24.30	...	24.30
	4552	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.70	...	0.70
	जोड़	*34.20*	...	*34.20*	*24.70*	...	*24.70*	*25.00*	...	*25.00*
हस्तशिल्प उद्योग	2552	17.90	...	17.90	17.90	...	17.90	16.00	...	16.00
	4552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
	जोड़	*21.90*	...	*21.90*	*21.90*	...	*21.90*	*20.00*	...	*20.00*
रेशम कीटपालन उद्योग	2552	30.00	...	30.00	26.70	...	26.70	30.00	...	30.00
जूट उद्योग	2552	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	5.00	...	5.00
कपड़ा	2552	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
	जोड़	*87.80*	...	*87.80*	*75.00*	...	*75.00*	*115.00*	...	*115.00*
कुल जोड़		***878.00***	***902.31***	***1780.31***	***750.00***	***855.82***	***1605.82***	***1150.00***	***858.25***	***2008.25***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
17.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	12860	27.01	...	27.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.02 ब्रिटिश इंडिया निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.03 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.04 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	12860	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
17.05 राज्य हथकरघा निगम/सोसायटियां	12860	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		**30.03**	**...**	**30.03**	**1.03**	**...**	**1.03**	**0.03**	**...**	**0.03**
ग. आयोजना परिव्यय:-										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	298.23	...	298.23	268.10	...	268.10	309.03	...	309.03
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	490.97	...	490.97	406.10	...	406.10	724.92	...	724.92
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.00	...	1.00	0.80	...	0.80	1.05	...	1.05
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	87.80	...	87.80	75.00	...	75.00	115.00	...	115.00
जोड़		**878.00**	**...**	**878.00**	**750.00**	**...**	**750.00**	**1150.00**	**...**	**1150.00**

सं.92/ कपड़ा मंत्रालय

1. **सचिवालय :** इसमें मंत्रालय और वेतन व लेखा कार्यालय संगठन के सचिवालयी व्यय के लिए व्यवस्था है ।

ग्रामीण व लघु उद्योग

हथकरघा उद्योग

2. **हथकरघा सब्सिडी :**

2.01 ***हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट :*** मौजूदा विशेष छूट योजना के विकल्प के रूप में 1.4.1989 से एक बाजार विकास सहायता योजना क्रियान्वित की गई थी । यह योजना 1.4.2000 से बंद कर दी गई है । तथापि, 31.3.2000 तक की अवधि से संबंधित विगत दावों का निपटान करने के लिए बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है ।

2.02 ***जनता कपड़े पर सब्सिडी:*** यह योजना बंद कर दी गयी है । इसमें कुछ बचे हुए दावों के लिए प्रावधान किया गया है ।

3. **हथकरघा क्षेत्र में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं :** इसके प्रावधान में (1) हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशाला-सह-आवास के लिए अनुदान शामिल है । वर्ष 1985-86 से ही यह योजना संबंधित राज्य हथकरघा विकास निगमों, शीर्ष निकायों, बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बुनकरों को उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था करने के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्राथमिक समितियों आदि द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । (2) हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के लिए सहायता जिसमें बुनकरों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पैकेज योजना, भविष्य निधि के स्वरूप की निधि का सृजन करने के लिए हथकरघा बुनकरों के लिए बचत निधि योजना तथा बाढ़, आग, भूचाल आदि के कारण गृहों को होने वाली क्षति अथवा नुकसान के आधार पर कवरेज की व्यवस्था करने के लिए नई बीमा योजना । (3) एक एकीकृत और गहन तरीके से हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए दीन दयाल हथकरघा योजना । यह योजना 01.04.2004 से प्रचालन में है और 31.03.2007 तक जारी रहेगी ।

4. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** अन्य योजनाओं में शामिल हैं : (1) बुनकर सेवा केन्द्र के व्यय से संबंधित संस्थान के लिए प्रावधान ; (2) हथकरघा निर्यात योजना जिसमें हथकरघा उत्पादों की निर्यातयोग्य श्रृंखला का विकास करने और उनका अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने की परिकल्पना है; (3) मिल गेट मूल्य योजना के तहत हथकरघा बुनकर संगठनों को मिल गेट मूल्य पर उपलब्ध सभी प्रकार का यार्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, (4) विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम के तहत हथकरघा एजेंसियों और अलग-अलग बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 01.04.2002 से प्रचालन में है; (5) डिजायन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हथकरघा उद्योगों से संबद्ध बुनकरों, डिजायनरों, रंजकों और प्रिंटरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; (6) बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा हथकरघा संकेन्द्रों में कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है । वस्त्रों और वस्त्र संबंधी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के कारण सेनवाट की प्रतिपूर्ति की जाती है । यह योजना क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कताई मिलों से यार्न की खरीदारी करते समय अदा किए गए अधिनियम के तहत प्रभारित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सहित वास्तविक उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए एनएचडीसी और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सहकारी समितियों, एसएचडीसी आदि द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । इस समय कपास पर कोई अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं है और इसीलिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था, यदि 09.07.2004 से पूर्व की अवधि से संबंधित कोई दावे हैं तो ऐसे अग्रणीत दावों का निपटान करने के लिए की गई है; (7) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान जमा हथकरघा भण्डार की बिक्री पर हथकरघा एजेसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की दर से एकमुश्त छूट की प्रतिपूर्ति करने की योजना है; (8) बुनकर बीमा योजना स्कीम के तहत 1 मिलियन बुनकरों और कारीगरों के लिए विशेष अंशदायी बीमा योजना ; (9) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उत्कृष्ट उपस्कर प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि वे विपणन योग्य कोटि के उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें ।

हस्तशिल्प उद्योग :

5. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** इनमें प्रशिक्षण व विस्तार, डिजाइन व तकनीकी उन्नयन, बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना, निर्यात संवर्द्धन, विपणन और सहायता सेवा, जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज, कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम, राजस्व खंड के तहत विशेष हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना और अनुसंधान व विकास तथा राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/राज्य शीर्ष समितियों को वित्तीय सहायता, पूंजी खंड के तहत हस्तशिल्प भवन सहित भवन का निर्माण शामिल है । बजट में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए केंद्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना के तहत प्रावधान करना तथा प्रशासनिक व्यय के लिए गैर-योजना निहित है ।

6. **ऊन विकास बोर्ड :** इस योजना के तहत देश में ऊन और ऊनी वस्त्र उत्पादों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऊन विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन करने के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (आई डब्ल्यू आई पी) शुरू किया गया था जिसके दो मुख्य संघटक अर्थात ऊन फाइबर का सुधार और ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण हैं । इसका क्रियान्वयन जुलाई, 2003 से पूर्णतः वित्तपोषित केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष पैकेज के क्रियान्वयन के लिए बजट की व्यवस्था भेड़, ऊन, पश्मीना का विकास करने के लिए की गई है । बोर्ड के प्रशासनिक व्यय के लिए गैर-योजना में भी बजट की व्यवस्था की गई है ।

7. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** इस व्यवस्था में वर्ष 1948 के संसदीय अधिनियम (61) द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा गठित केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रशासन शामिल है । अधिनियम की धारा (8) के अनुसार बोर्ड को सौंपे गए कार्यों में उद्योग के समस्त मुद्दों को शामिल करना और गहन अनुसंधान करना निहित है ताकि उसके नियंत्रणाधीन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके । अन्य बातों के साथ-साथ यह बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने , ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का युक्तियुक्त विपणन, सांख्यकीय आंकड़े एकत्रित करने, अपरिष्कृत रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है । बजटीय प्रावधान में कृषि आधारित रेशम उत्पादन उद्योग का विकास करने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सहायता और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य द्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती रेशम का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढाना है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यचालन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियों को शुरू करके निर्यात आय बढाना है ।

8. **अन्य रेशम उत्पादन योजनाएं :** इस व्यवस्था में रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं ।

9. **अन्य विद्युतकरघा योजनाएं :** यह व्यवस्था वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघों, कम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्र, विकेन्द्रीकृत और लघु विद्युतकरघा एककों को नया कच्चा डिजायन, विद्युतकरघा कामगारों का सामूहिक बीमा योजना द्वारा श्रम कल्याण, सामूहिक कार्यशाला योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों का अच्छा कार्यचालन वातावरण प्रदान करने और आधुनिक बुनाई मशीनों युक्त विद्युतकरघा पार्कों की स्थापना करने के लिए है ताकि वे विश्व बाजार में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकें तथा यह व्यवस्था विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए गैर-योजना भाग में है ।

उपभोक्ता उद्योग

10. **वस्त्र/पटसन पर उपकर वसूली के आधार पर भुगतान :** इसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग समिति द्वारा वसूल किए गए उपकर में से समिति को अदायगी करने की व्यवस्था की गई है ताकि समिति निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्रों और वस्त्र निर्माण मशीनरी का निरीक्षण लदान से पहले कर सके और

इसमें विभिन्न निर्धारित कार्यों के लिए पटसन पर उपकर की वसूली के आधार पर पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अदायगी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

11. **वस्त्र आयुक्त :** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का संचालन करता है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी योजनाओं की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है और सभी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को सलाह देता है ।

12. **वस्त्र विकास के लिए अन्य कार्यक्रम :-**

12.01 ***राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान :*** राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) सरकार का वित्त पोषित संस्थान है जो भारत के विकसित हो रहे फैशन उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1986 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है । अनेक वर्षों से निफ्ट के सात केन्द्र स्थापित किए गए हैं और निफ्ट के ये केन्द्र अपैरल उद्योग को विशेषकर डिजायन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भारत के एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उभरे हैं । यह विभिन्न पूर्णकालिक कार्यकम चलाता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है । बजट की व्यवस्था योजना के तहत संस्थान के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने और गैर-योजना के तहत निफ्ट के केन्द्रों के प्रशासिनक व्यय के संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए की गई है ।

12.02 ***अनुसंधान और विकास :*** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है ।

12.03 ***वस्त्र श्रमिक पुनर्वासन योजनाः*** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवानेवाले कामगारों के लिए पारगमन समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें ।

12.05 ***प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):*** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके । यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी और आईएफसीआई) द्वारा चलाई जा रही है ।

12.06 ***कपास प्रौद्योगिकी मिशनः*** इस मिशन का कार्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है जिसका उद्देश्य कपास अनुसंधान और किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना, विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना और जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है । इस मिशन में चार लघु मिशन शामिल हैं । लघु मिशन I और II कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा लघु मिशन III और IV का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय कर रहा है । इस योजना के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में 150 करोड़ रू. की व्यवस्था की गई है । 1999-2000 में योजना के प्रारंभ होने से लेकर मार्च, 2004 तक लघु मिशन III और IV के तहत, 112 बाजार यार्डों का विकास, 413 जीनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण की मंजूरी दी गई जिसकी कुल अनुमानित लागत 723.17 करोड़ रूपए हैं जिसमें से भारत सरकार का अंश 190.82 करोड़ रू. होगा । विकास के लिए स्वीकृत किए गए 112 बाजार यार्डों में से 75 बाजार यार्डों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई 413 जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों में से 270 जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों को आधुनिक बना दिया गया है।

12.07 ***अपैरल वस्त्र पार्क के लिए योजना :*** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" शुरू की गई है । यह योजना संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना के लिए संकेन्द्रित बल देने तथा निर्यात को गति देने के लिए अभिप्रेरित है । इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता पूंजीगत व्यय के 75% तक अपैरल पार्क की इंफास्ट्रक्चर सुविधाओं पर राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी जबकि शेष 25% का वहन जो कि अधिकतम 10 करोड़ रू. के अधीन होगा, राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा । केंद्रीय सरकार बहिस्राव शोधन संयंत्र, विपणन/प्रदर्शनी आदि के लिए बहुउद्देशीय केंद्र/हाल, शिशु सदन के लिए 5 करोड़ रू. तक की राशि भी प्रदान करेगी । इसके अलावा, केंद्रीय सरकार पार्क में किसी भी प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण की लागत के 75% तक अनुदान प्रदान करेगी जो कि अधिकतम 2 करोड़ रू. होगा ।

12.08 ***वस्त्र विकास केन्द्रों की इंफास्ट्रक्चर सुविधाओं के उन्नयन के लिए योजना :*** पूर्व-प्रभावी वस्त्र/अपैरल क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 के एक प्रमुख संकेन्द्रित क्षेत्र में से एक है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक नई योजना टीसीआईडीएस शुरू की गई है। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में तत्परता लाने की दृष्टि से टीसीआईडीएस के क्षेत्र और निजीकरण ढ़ांचे में संशोधनों की घोषणा (दिसंबर, 2002 में) की है । इस योजना के तहत आरंभ में केंद्रीय सहायता प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रू. की अधिकतम सीमा तक परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के 50% तक स्वीकृत की गई थी । संशोधित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता, सामान्य बहिस्राव संयंत्र, जल आपूर्ति एवं निकासी की सुविधाओं में सुधार लाने तथा अपैरल एककों के लिए शिशु भवन के निर्माण के संबंध में परियोजना के महत्वपूर्ण संघटकों के 100% तक उपलब्ध है, जबकि अन्य संघटकों के लिए धनराशि केन्द्र और संबंधित राज्यों/प्रतिष्ठित एजेंसियों के बीच 75:25 के आधार पर दी जाएगी । अभी तक 16 टीसीआईडीएस परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है ।

12.09 ***भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद :*** भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है । समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है ।

12.10 ***एईपीसी को ईएमडी/बीजी की जब्त की गई धनराशि के आधार पर अनुदान :*** लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) को ईएमडी/बीजी की जब्त राशि का भुगतान ।

12.11 ***पुनर्वासन योजना के लिए ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. को अनुदान :*** यह प्रावधान ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (बीआईसी) के लिए बीआईएफआर अनुमोदन प्राप्त पुनर्वासन के कार्यान्वयन के लिए है ।

12.12 ***अन्य :*** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों, निर्यात बाजार सहायता, तकनीकी वस्त्रों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भुगतान तथा अनुदान संबंधी आयोग आदि के लिए है ।

13. **पटसन आयुक्त :** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास और पटसन मिल संबंधी मशीनरी के विकास की देखवाल करता है । वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) ओदश, 1961 को भी प्रशासित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन तथा पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है ।

14. **पटसन के विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम :** (1) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केन्द्र पटसन सेवा केन्द्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजाइन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता तथा पटसन विविधीकृत केन्द्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलाप संबंधी एक योजना चलाता है । (2) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन पटसन वस्तु प्रणाली के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित

दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें कृषि अनुसंधान तथा बीज विकास कृषि संबंधी कार्यों में सुधार, कटाई तथा पश्च-कटाई तकनीकियों, पटसन प्रसंस्करण, विविधीकृत उत्पादों का विकास, बाजार विकास तथा पटसन क्षेत्र में विपणन और वितरण व्यवस्था, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, गैर-योजना के तहत बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को योगदान ।

15. **पटसन विकास निधि :** इसमें पटसन विकास निधि को तथा इससे अंतरण करने के लिए व्यवस्था है।

नागरिक आपूर्ति

16. **सार्वजनिक उद्यमों को गैर-योजना ऋण :** इसमें मंत्रालय के तहत रूग्ण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, एल्गिन मिल्स तथा बर्ड जूट एवं निर्यात लि. को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है ।

17. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश :** इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए इक्विटी और ऋण की व्यवस्था की गई है ।

18. इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है ।